<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 35 / 2022 **दायर दिनांकः 16 / 12 / 2022**

उनवान

1. मीना कुमारी आयु 38 वर्ष पुत्री अवधेश कुमार पत्नि जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी कुण्डी हाल बुढादित तहसील दीगोद जिला कोटा (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

आदेश

दिनाक : 13 / 02 / 2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल कुण्डी में खाता संख्या 194 की कुल किता 10 का रकबा 2.89 है. भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि ग्राम कुण्डी में प्रार्थिया के पिता के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक्त मीना देवी के बजाय ईना पुत्री अवदेश कुमार दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के स्कूल रिकॉर्ड में मीना दर्ज था तथा विवाह के पश्चात प्रार्थिया के राशन कार्ड आधार कार्ड, बैंक के दस्तावेज सभी में मीना दर्ज है जो उसका वास्तविक नाम है। जमाबन्दी में व अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड में अलग—अलग नाम होने से प्रार्थिया को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे प्रार्थिया दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थिया ने दिनांक 17.11.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरुस्त

करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक खातों में प्रार्थिया का नाम मीना देवी दर्ज है, प्रार्थिया इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मदन. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करवाने की अधिकारणी है बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम कुण्डी तह. अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम ईना के स्थान पर मीना देवी पुत्री अवधेश कुमार पत्नि जगदीश प्रसाद दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्य प्रार्थी के तहत pw1 मीना कुमारी पुत्री अवधेश कुमार पत्नि जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी कुण्डी हाल बुढादित तहसील दीगोद जिला कोटा (राज.) का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किये कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल कुण्डी में खाता संख्या 194 की कुल किता 10 का रकबा 2.89 है. भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि में मेरे पिता के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक्त मेरा नाम मीना देवी के बजाय ईना पुत्री अवदेश कुमार दर्ज कर दिया जबकि मेरे स्कूल रिकॉर्ड में मीना दर्ज था तथा विवाह के पश्चात मेरे राशन कार्ड आधार कार्ड, बैंक के दस्तावेज सभी में मीना दर्ज है जो मेरा वास्तविक नाम है। जमाबन्दी में व अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड में अलग–अलग नाम होने से मुझे भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का

सामना करना पड़ रहा है। जिसे मैं दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी हूँ । मैंने दिनांक 17.11.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए मैंनें माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक खातों में मेरा नाम मीना देवी दर्ज है।, इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को मैं दुरूस्त करवाने की अधिकारणी हूॅ।

Pw2 दिनेश पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुण्डी तहसील अटक जिला बारां (राज.) का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किये कि प्रार्थिया मीना कुमारी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल कुण्डी में खाता संख्या 194 की कुल किला 10 का रकबा 2.89 है. भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त आराजी में मैंने सहखातेदार है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थिया के पिता के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक्त प्रार्थियों का नाम मीना देवी के बजाय ईना पुत्री अवदेश कुमार दर्ज कर दिया जबकि उसके स्कूल रिकॉर्ड में मीना दर्ज था तथा विवाह के पश्चात राशन कार्ड आधार कार्ड, बैंक के दस्तावेज सभी में मीना दर्ज है जो ही प्रार्थिया का वास्तविक नाम है। जमाबन्दी में व अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड में अलग–अलग नाम होने से प्रार्थिया को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे प्रार्थिया दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है।

4. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थिया ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल कुण्डी में खाता संख्या 194 की कुल किता 10 का रकबा 2.89 है. भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। ग्राम कुण्डी की उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थिया के पिता के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक्त मीना देवी के बजाय ईना पुत्री अवदेश कुमार दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया के स्कूल रिकॉर्ड में मीना दर्ज था तथा विवाह के पश्चात प्रार्थिया के राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक के दस्तावेज सभी में मीना दर्ज है जो उसका वास्तविक नाम है।

अभिभाषक प्रार्थिया ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड में अलग–अलग नाम होने से प्रार्थिया को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसे दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम कुण्डी की उक्त विवादित आराजी में प्रार्थिया अपना नाम ईना पुत्री अवधेश कुमार के स्थान पर सही नाम मीना देवी पुत्री अवधेश कुमार दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत ग्राम कुण्डी की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 की खाता संख्या 194 ख0नं0 1314 की0.09 है0, ख0नं0 1315 की 0.07 है0, ख0नं0 1316 की 0.23 है0, ख0नं0 1317 की 0.52 है0, ख0नं0 1318 की 0.37 है0, ख0नं0 1319 की 0.45 है0, ख0नं0 29 की 0.20 है0, ख0नं0 31 की 0.86 है0, ख0नं0 31/2080 की 0.08 है0, ख0नं0 893/1996 की 0.02 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.89 है0 में सहखातेदार ईना पुत्री अवधेश कुमार का नाम शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया द्वारा पेश दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में मीना शर्मा पत्नी जगदीश, राशन कार्ड में मीना देवी, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पासबुक में मीना देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, जन आधार में मीना देवी, आयकर विभाग के पेन कार्ड में मीना शर्मा अंकित है। कार्यालय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कुण्डी के प्रमाण पत्र क्रमांक 374 दिनांक 12.12.2022 अनुसार मीना कुमार पुत्री अवधेश कुमार शर्मा ने उक्त कुण्डी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उक्त दस्तावेजों, साक्ष्यप्रार्थी Pw1, Pw2 के सशपथ बयान से स्पष्ट है कि प्रार्थिया का सही नाम मीना हैं। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रार्थिया का नाम ईना के स्थान पर मीना दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

6. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम कुण्डी की विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित

आराजी ग्राम कुण्डी की खाता संख्या 194 ख0नं0 1314 की 0.09 है0, ख0नं0 1315 की 0.07 है0, ख0नं0 1316 की 0.23 है0, ख0नं0 1317 की 0.52 है0, ख0नं0 1318 की 0.37 है0, ख0नं0 1319 की 0.45 है0, ख0नं0 29 की 0.20 है0, ख0नं0 31 की 0.86 है0, ख0नं0 31/2080 की 0.08 है0, ख0नं0 893/1996 की 0.02 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.89 है0 आराजी में सहखातेदार ईना पुत्री अवधेश कुमार के स्थान पर मीना शर्मा पुत्री अवधेश कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां